न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
16 / 2024	दावा 88 RTA	15.01.2024	14.07.2025

1. गुलाबदेवी पत्नी नथुराम जाति जाट निवासिनी गाजसर तहसील चूरू
2. कपिल पुत्र नथुराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
3. नरेन्द्र पुत्र नथुराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
4. मुकेश पुत्र नथुराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय चूरू
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिको चूरू जरिए प्रबंधक—

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी वादी
2. पैरोकार राज.

निर्णय

वादी की ओर से दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम घण्टेल खेत खसरा नम्बर 743 वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषिभूमि है। राजस्व रिकॉर्ड की तैयारी के समय गुलाबदेवी के स्थान पर गुलाब व वादिनी सं. के पति व 2 से 4 के पिता का नाम नथुराम के स्थान पर नथमल कर दिया गया वादीनी का असली व दस्तावेजी नाम नाम गुलाबदेवी व उसके पति का असली व दस्तावेजी नाम नथुराम ही है। राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजी नाम अलग—अलग होने से वादीगण को सरकारी व गैर सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वादीनी का नाम गुलाब के स्थान गुलाब देवी व वादिनी के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नथमल के स्थान पर नथमल किया जावे ।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से इसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिस पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जमाबंदी रोही ग्राम घण्टेल के खेत खसरा संख्या 743 में गुलाब पत्नी नथमल व गुलाबदेवी पत्नी नथम अंकित है व वादिनी के आधार कार्ड, राशन कार्ड पहचान पत्र आदि में गुलाबदेवी पत्नी नथुराम ही अंकित है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादिनी का नाम गु[illegible] है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में एक जगह गुलाब अंकित है अतः गुलाब का नाम गु[illegible]वी [illegible] जाना उचित है व जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी के पति त[illegible] का नाम नथमल है जबकि वादिनी गुलाब देवी पति व अन्य वादी संख्या 02 से 04 के पिता का नाम [illegible] कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में नथुराम है वादिनी के [illegible] व वादी संख्या 02 से [illegible] पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजी नाम अलग—अलग होने से वादीगण को परेशानी आने की संभावना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:08 IST
Reason: SelfAttested

है जो वादीगण की ओर से दावा उल्लेखित किया है। तथा इस प्रकार के परिवर्तन से किसी भी खातेदार को किसी भी प्रकार की हानी होने की संभावना नहीं है तथा ना ही किसी प्रकार की राजकीय हानी होने की संभावना है तथा प्रतिवादी संख्या 02 के खिलाफ पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

निर्णय

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 743 तादादी 11.2426 हैक्टेयर रोही ग्राम घण्टेल में अंकित वादीनी के नाम गुलाब पत्नी नथमल के स्थान पर गुलाबदेवी पत्नी नथुराम कपिल पुत्र नथमल के स्थान पर कपिल पुत्र नथुराम, नरेन्द्र पुत्र नथमल के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र नथुराम, मुकेश पुत्र नथमल के स्थान पर मुकेश पुत्र नथुराम व इमरती पुत्री नथमल के स्थान पर इमरती पुत्री नथुराम किये जाने की घोषणा की जाती है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। वादीगण की ओर से किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाया गया है तो इसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा यदि पूर्व में वादीगण के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में या राजकीय बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. गुलाबदेवी पत्नी नथुराम जाति जाट निवासिनी गाजसर तहसील चूरू
2. कपिल पुत्र नथुराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
3. नरेन्द्र पुत्र नथुराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
4. मुकेश पुत्र नथुराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय चूरू
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिको चूरू जरिए प्रबंधक–

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 16 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र डुडी वादी, मिनजानिब मुदईब पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 743 तादादी 11.2426 हैक्टेयर रोही ग्राम घण्टेल में अंकित वादीनी के नाम गुलाब पत्नी नथमल के स्थान पर गुलाबदेवी पत्नी नथुराम कपिल पुत्र नथमल के स्थान पर कपिल पुत्र नथुराम, नरेन्द्र पुत्र नथमल के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र नथुराम, मुकेश पुत्र नथमल के स्थान पर मुकेश पुत्र नथुराम व इमरती पुत्री नथमल के स्थान पर इमरती पुत्री नथुराम किये जाने की घोषणा की जाती है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। वादीगण की ओर से किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाया गया है तो इसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा यदि पूर्व में वादीगण के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में या राजकीय बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14 माह जूलाई सन् 2025 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:08 IST
Reason: SelfAttested